

20/7/75  
TAL  
18.5.75

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
( राजस्व और बीमा विभाग )

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 1975

शुद्धि-पत्र

संख्या 0आ0

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 17 अक्टूबर 1974 के पृष्ठ 2143 से 2145 तक प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का0आ0 615 (अ) में निम्नलिखित संशोधन किये जाय :-

1. पृष्ठ 2143 पर पैराग्राफ 2 (67) की आठवीं पंक्ति में 'धनों' के स्थान पर 'धन' पढ़ा जाय ।
2. इसी पृष्ठ के पैराग्राफ 2(67) (ii) की पाँचवीं पंक्ति में (1970 का 5) के बाद, " " विह्वल हटा दिया जाय तथा 'जो' के स्थान पर 'की' पढ़ा जाय ।
3. इसी पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति में 'बक' के स्थान पर 'बैंक' पढ़ा जाय ।
4. पृष्ठ 2144 की प्रथम पंक्ति में 'बक' के स्थान पर 'बैंक' पढ़ा जाय ।
5. पृष्ठ 2145 के पैराग्राफ 4 (101) की तीसरी पंक्ति में 'प्रोद्भूत समस्त' के बाद और 'भारत' से पूर्व 'धन' जोड़ दिया जाय ।
6. इसी पैराग्राफ की दसवीं पंक्ति में 'से' के स्थान पर 'में' पढ़ा जाय ।
7. इसी पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति के नीचे 'केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड' जोड़ दिया जाय ।

[ सं० 1030/का० सं० 142(6)/71 - टी०पी०एल० ]

( श्री० पी० भारद्वाज )

सचिव,  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष - कर बोर्ड